पीठासीन अधिकारी :– महिपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 195/2022 प्रार्थनापत्र

हजारी पुत्र श्री रामा बलाई जाति बलाई आयु वयस्क निवासी– सुलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

––– विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री मुकेश सिह तंवर –अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक– 28.11.2022

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 136 लैण्ड़ रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के साबिक आराजी नम्बर 1879/828 मे से 0.6323 हैक्टयर व आराजी नम्बर 1880/843 रकबा 0.02529 हैक्टयर कृषि भूमि हजारी पिता रामा बलाई निवासी– सूलिया को दिनांक 29/01/1983 की पत्रावली संख्या 1720/83 के द्वारा आवंटित हुई थी, दोनो आराजी जो कि सटमा आंवटन सलाहकार समिति द्वारा कब्जा दिया गया व आंवटन नक्शे व कब्जा सिपुर्दगी मे तरमीम की गयी, उसी अनुसार काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। लेकिन राजस्व विभाग द्वारा उक्त आराजियात को नकशे मे तरमीम करते समय अलग अलग टूकडे मे तरमीम कर दिया, जो गलत है। उक्त आराजियात को न्यायहित मे मौके पर कब्जे अनुसार व आवंटन नक्शा अनुसार तरमीम करायी जाना न्यायोचित एंव आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षी द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जिसे शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए सिपुर्दगीनामा ट्रेस व कब्जे अनुसार तरमीम हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.01.22 18:10:09 IST
Reason: SelfAttested

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली [illegible] उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी [illegible] दर्ज रिकोर्ड पटवार हल्का के मौका रिपोर्ट प्रदर्श सख्या 02 अनुसार ग्राम सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1879/828 रकबा 0.6323 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1880/843 रकबा 0.2529 हैक्टयर जो कि प्रार्थी हजारी पुत्र श्री रामा को

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

आंवटन होना व प्रदर्श सख्या 03 पत्रावली मे संलग्न सिपुर्दगीनामा ट्रेस की प्रति अनुसार उक्त भूमि एक साथ लगती हुई होना व प्रदर्श सख्या 04 वर्तमान नक्शा शीट मे सिपुर्दगीनामा से भिन्न होकर बीच मे बिलानाम भूमि दर्ज हो जाना व प्रदर्श संख्या 02 मौका रिपोर्ट से वर्तमान में प्रार्थी का कब्जा भी सिपुर्दगी नक्शे अनुसार होना बताया। अतः मौका रिपोर्ट मे वर्णित कब्जे अनुसार एवं सिपुर्दगीनामा अनुसार तरमीम करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: **आदेश** ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर ग्राम सूलिया पटवार हल्का गोरधनपुरा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1879/828 रकबा 0.6323 हैक्टयर एवं आराजी नम्बर 1880/843 रकबा 0.2529 हैक्टयर को वर्तमान राजस्व नक्शे मे मौका पर्चा रिपोर्ट एव सिपुर्दगीनामा के अनुसार तरमीम की जावे। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर मय कब्जा नक्शा जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:10:09 IST
Reason: SelfAttested

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा